भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3955

25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः कृषि वानिकी नीति

3955. श्री अशोक कुमार रावतः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कृषि वानिकी नीति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि वानिकी से छोटे और ग्रामीण परिवार लाभान्वित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि वानिकी पद्धतियों को अपनाने के लिए क्या प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (एनएपी) तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य लकड़ी, भोजन, ईंधन, चारा, उर्वरक, फाइबर और अन्य कृषि वानिकी उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने, प्राकृतिक संसाधनों और वनों को संरक्षित करने, पर्यावरण की रक्षा करने और पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करने तथा वन/वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना था। वर्तमान में, कृषि वानिकी स्कीम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत एक घटक के रूप में कार्यान्वित की जाती है, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि पर वृक्ष आवरण बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना है।

(ख) और (ग): राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, पीएमआरकेवीवाई के कृषि वानिकी घटक के अंतर्गत छोटे किसानों सहित 102,996 किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**लाभान्वित किसानों की संख्या**
2023-24	69,827
2024-25 (आज तक)	33,169
कुल	**1,02,996**

(घ): कृषि वानिकी स्कीम के अंतर्गत नर्सरियों और पौधे उगाने के लिए निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. हाईटेक नर्सरी की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये।
ii. बड़ी नर्सरी की स्थापना के लिए 16 लाख रुपये।
iii. छोटे नर्सरी की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये।
iv. नए टिश्यू कल्चर यूनिट की स्थापना के लिए 200 लाख रुपये।
v. मौजूदा टिश्यू कल्चर यूनिट्स को सुदृढ़ करने के लिए 20 रुपये।
vi. मौजूदा नर्सरी में पौधे उगाने के लिए 5 लाख रुपये।

सरकारी एजेंसियों को 100% सहायता तथा किसानों और निजी उद्यमियों को 50% सहायता प्रदान की जाती है।

*****